

(भारत के राजपत्र के भाग-I, खंड-II में प्रकाशनार्थ)

संख्या 13017/9/2010-अ.भा.से.(1)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

* * *

नई दिल्ली; दिनांक : 16 जून, 2010

अधिसूचना

भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पंजाब तथा झारखण्ड सरकारों की सहमति से, केन्द्रीय सरकार श्री दिप्रवा लाकड़ा, भारतीय प्रशासनिक सेवा (पी.बी. : 05) की पंजाब संवर्ग से झारखण्ड संवर्ग में अंतर संवर्ग प्रतिनियुक्ति हेतु कार्यभार संभालने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जहाँ भी पहले हो, एतद्वारा अनुमोदन प्रदान करती है।

(आर. के. गुप्ता)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष : 23093063

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

फरीदाबाद (हरियाणा)